न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 01/2022
GCMS NO. : 2022/17

–:: वादी :–

1. भागीरथ पुत्र लालाराम जाति– जाट, निवासी– बांझाकुड़ी, तहसील– जैतारण जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. ओगड़राम पुत्र खिंयाराम
2. ताराचंद पुत्र खिंयाराम
3. नाथीदेवी पुत्री खिंयाराम
4. माडी देवी पत्नी खिंयाराम
5. भागीरथसिंह उर्फ राजेन्द्र पुत्र रूपाराम
6. रूपाराम पुत्र गोपा फौत के का.मु.
   6.1 सुरेन्द्र पुत्र रूपाराम
   6.2 सीमा पुत्री रूपाराम
   6.3 सरिता पुत्री रूपाराम
   6.4 बबीता पुत्री रूपाराम
   6.5 चन्द्रकान्ता पत्नी रूपाराम
7. रामलाल पुत्र खिंयाराम
8. लक्ष्मणराम पुत्र खिंयाराम जाति जाट निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण।
9. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.10.01.2022

उपस्थित:– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 08/08/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बांझाकुडी पटवार हल्का बांझाकुड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 724 रकबा 1.7644 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 वां हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की दर्ज है नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि है ... बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही हो रखा है। परन्तु मौके पर वादी ... प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि अलग अलग बंटी हुई है उसी अनुसार ... पक्षकारान् काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड सामलाती दर्ज है। उपरोक्त ... वादग्रस्त आराजी जिसका पक्षकारान् अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाड़ा कर लिया है जिसमें वादी के हक हिस्से को लाल स्याही से नजी नक्शे में मार्क ए बी सी डी दर्शाया गया है और इसी अनुसार वादी मौके पर भी काबिज होकर काश्त कर रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि सामलाती दर्ज होने से तथा उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पडता है जिसमें वादी अपने हक हिस्से की भूमि के चार दीवारी बनाने, इसे उपजाऊ बनाने, खाद बीज डालने, बैंक से ऋण लेने भूमि का भू रूपान्तरण करवाने आदि में अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी क पास उक्त आराजी में अपने हक हिस्से का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से वादी की और से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने 4/5 हिस्से का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने बाबत् प्रतिवादीगण को दिनांक 28.11.2021 को आग्रह किया जिस पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया एवं उल्टा वादी को यह ऐलानिया धमकी दी कि वह सम्पूर्ण भूमि के मुख्य भाग पर कब्जा कर वादी को बेदखल करेगा एवं अजनबी व्यक्ति को बेचान कर मौके पर कब्जा करेगा यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसूबो में कामयाब हो जाते है और वादग्रस्त आराजी को कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाये बिना ही फ्रण्ट की जमीन पर कब्जां करते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही है तथा वादी अपने जायज हक व अधिकारो से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 9 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाड़े के वादपत्र आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 28.11.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को संयुक्त शामलाति भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का आग्रह करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार होने एवं फ्रण्ट की भूमि पर कब्जा कर वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर बिना कानूनी बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बांझाकुड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी ने साक्ष्य शपथ पेश किया, प्रदर्श करवाए गए, शामिल मिसल किया गया। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी मौजा बांझाकुड़ी सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 724 रकबा 1.7644 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

दिर की गई कि कि सरहद मौजा बांझाकुड़ी, पटवार हल्का बांझाकुड़ी तहसील तारण, में स्थित खसरा नम्बर 724 रकबा 1.7644 हैक्टर, भूमि जो राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/390 दिनांक 09.05.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/4373 दिनांक 07/07/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बांझाकुड़ी, पटवार हल्का बांझाकुड़ी तहसील जैतारण, में स्थित खसरा नम्बर 724 रकबा 1.7644 हैक्टर, भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	भागीरथ पुत्र लालाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	724/1	0.8822	बा. अ.	0.55
2.	ओगड़राम पुत्र खीयाराम 1/24 ताराचंद पुत्र खीयाराम 7/24 नाथीदेवी पुत्री खीयाराम 1/24 भागीरथ उर्फ राजेन्द्रकुमार पुत्र रूपाराम 1/4 माडी देवी पत्नी खीयाराम 1/24 रूपा पुत्र गोपा 1/4 रामलाल पुत्र खीयाराम 1/24 लक्ष्मणराम पुत्र खीयाराम 1/24 कौम जाट सा. देह खातेदार	724	0.8822	बा. अ.	0.54

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर (रेकर्ड भण्डार) जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:30:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 08/08/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

ईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादी :-

1. भागीरथ पुत्र लालाराम
   जाति- जाट, निवासी- बांझाकुड़ी,
   तहसील- जैतारण जिला- पाली
   राज0।

बनाम

-:: प्रतिवादीगण :-

1. ओगड़राम पुत्र खिंयाराम
2. ताराचंद पुत्र खिंयाराम
3. नाथीदेवी पुत्री खिंयाराम
4. माडी देवी पत्नी खिंयाराम
5. भागीरथसिंह उर्फ राजेन्द्र पुत्र रूपाराम
6. रूपाराम पुत्र गोपा फौत के का.मु.
   6.1 सुरेन्द्र पुत्र रूपाराम
   6.2 सीमा पुत्री रूपाराम
   6.3 सरिता पुत्री रूपाराम
   6.4 बबीता पुत्री रूपाराम
   6.5 चन्द्रकान्ता पत्नी रूपाराम
7. रामलाल पुत्र खिंयाराम
8. लक्ष्मणराम पुत्र खिंयाराम जाति जाट निवासी बांझाकुड़ी तहसील जैतारण।
9. तहसीलदार जैतारण जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 01/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी व श्री समीर खान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजस्व रेकर्ड प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम बांझाकुड़ी पटवार हल्का बांझाकुड़ी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 724 रकबा 1.7644 हैक्टर किस्म बारानी भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	भागीरथ पुत्र लालाराम कौम जाट सा. देह खातेदार	724/1	0.8822	बा. अ.	0.55
2.	ओगड़राम पुत्र खीयाराम 1/24 ताराचंद पुत्र खीयाराम 7/24 नाथीदेवी पुत्री खीयाराम 1/24 भागीरथ उर्फ राजेन्द्रकुमार पुत्र रूपाराम 1/4 माडी देवी पत्नी खीयाराम [illegible] 1/24 रूपा[illegible] पुत्र गोपा 1/4 रामलाल पुत्र खीयाराम 1/[illegible] लक्ष्मणराम पुत्र खीयाराम 1/24 कौम [illegible] सा. देह खातेदार	724	0.8822	बा. अ.	0.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेक[illegible] किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक[illegible]भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ..–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **08/08/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	/
महनताना वकील	/	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	05-00	मिजानः–	–Nil–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:50:03 IST
Reason: SelfAttested